उत्तर प्रदेश सरकार

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या- 615/77-3-10-26(एक्स)/09

लखनऊः दिनांकः 19 फरवरी 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम-1851 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1851)की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन शाक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर निर्मित और राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक्सप्रेसवेज और समस्त सेतुओं, जिनके अन्तर्गत इण्टरचेन्जेज, उपरिगामी सेतु, रेलवे उपरि सेतु, अधो सेतु, एक्सप्रेसवेज के उपमार्ग लाइन भी हैं, का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्तियों, वाहनों के प्रभारियों या इस निमित्त रियायत करार के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत रियायतग्राही से प्रभारित की जाने वाली फीस, उन पर अधोरोपित या उनसे वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली,2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे(पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली,2010 कही जाएगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषायें (1). जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हा, इस नियमावली में :-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य भारतीय पथकर अधिनियम,1851 से है;

(ख) ''आधार वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल, 2009 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि से है ;

(ग) 'उपमार्ग' का तात्पर्य किसी कस्बा या नगर से होकर जाने वाले एक्सप्रेस वे के किसी खण्ड से है;

(घ) 'पुल' का तात्पर्य उस ढाँचे से है जिसकी कुल लम्बाई 6 मीटर से ऊपर हो और जो आन्तरिक दीवारें के मध्य से होते हुए धसकन या अवरोध यथा चैनल,सड़क, रेलवे के ऊपर से ट्रैफिक या अन्य गतिमान भार ले जाने के लिए होता है;

(ड़) ''कार'' या ''जीप'' या ''वैन'' या ''लाइट मोटर वाहन'' का तात्पर्य किसी यांत्रिक वाहन से है, जिसका कुल भार सात हजार पांच सौ किलोग्राम या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट यात्रियों की ढुलाई की क्षमता चालक को सम्मिलित करते हुए बारह से अधिक न हो;

(च) ''रियायत करार'' का तात्पर्य ऐसे करार से है जो राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी और निर्माण, परिचालन/अवस्थापना का या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के मध्य किया गया हो;

(छ) ''रियायतग्राही'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के साथ करार किया गया है;

(ज) ''निष्पादन प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूसचित किसी अधिकारी या प्राधिकारी से है;

(झ) ''एक्सप्रेसवे'' का तात्पर्य तीव्र गति से यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुँच सहित विभाजित वाहन मार्ग से है, जिसको रियायत करार के अधीन निर्मित संचालित या अनुरक्षित किया गया है;

(ञ) ''उत्थापित राजमार्ग'' का तात्पर्य एक्सप्रेस-वे के ऐसा खण्ड से है जिसे पाथों या स्तम्भों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है;

(ट) ''वित्तीय वर्ष'' का तात्पर्य किसी वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले, 12 कलेण्डर माह की अवधि से है;

(ठ) ''सकल यान भार'' का तात्पर्य किसी यान के सम्बन्ध में यान के कुल भार और मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन उस यान के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार से है;

(ड) ''भारी निर्माण मशीनरी'' या ''भू-गतिमान उपस्कर'' या ''बहुधुरीय यान या भरी ट्रक'' का तात्पर्य भारी निर्माण मशीनरी या भू-गतिमान उपस्कर या यांत्रिक यान या तीन से छह धुरी वाले बहुधुरीय यान सहित बीस हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु साठ हजार किलोग्राम से कम यान भार वाले से है;

(ढ) ''इण्टरचेंज'' का तात्पर्य परिवहन के साथ जोड़ने वाला ग्रेड सेपरेटेड इण्टरसेक्शन से है;

(ण) ''क्षेत्र'' का तात्पर्य मुख्य वाहन मार्ग का भाग बनने वाली और तीन मीटर पचास सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली लेन से है;

(त) ''हल्का वाणिज्यिक यान'' या ''हल्का माल यान'' या ''मिनीबस'' का तात्पर्य सात हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक किन्तु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम, 1988 के जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बत्तीस से कम यात्री वाहन क्षमता वाले किसी यांत्रिक यान से है;

(थ) ''यांत्रिक यान'' का तात्पर्य अपनी शक्ति के अधीन चलने वाले किसी यान से है, जिसके अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यथा परिभाषित मोटर यान भी है;

(द) ''विशाल आकार यान'' का तात्पर्य सात या अधिक धुरियों वाले यान या ऐसे यान से है, जिसका सकल यान भार साठ हजार किलोग्राम से अधिक है;

(ध) ''सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना'' का तात्पर्य ऐसे परियोजना से है जो एक्सप्रेसवे के किसी सेक्शन जिसके अन्तर्गत समस्त स्थाई पुल,इन्टरचेंज, उपरिसेतु, आर.ओ.बी./आर.यू.बी. उपमार्ग,उसकी सुरंग भी है, से सम्बन्धित हो और जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई करार किया गया हो;

(न) ''रेलवे ओवर/अण्डर ब्रिज (आर.ओ.बी./आर.यू.बी)'' का तात्पर्य रोड ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज से है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर/नीचे से गुजरता हो और जिसे रियायती करार के अधीन निर्मित/संचालित या अनुरक्षित किया गया हो;

(प) ''सर्विस सड़क'' का तात्पर्य एक्सप्रेस सेक्शन के समानान्तर चलने वाली सड़क से है जो एक्सप्रेस वेके उक्त सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुँच प्रदान करती है;

(फ) ''पथकर या फीस'' का तात्पर्य यथास्थिति प्रति किलोमीटर/मीटर उद्गृहीत पथकर शुल्क से है, जो राजमार्ग परियोजना, स्थाई पुलों, इण्टरचेंजेज, उपरिगामी सेतु आर.ओ.बी./आर.यू.बी. या सड़क ऊपरि सेतु/ अधोसेतु, उपमार्ग या सुरंग के प्रयोक्ता द्वारा इन नियमों के अधीन देय है;

(ब) ''टाल प्लाजा'' का तात्पर्य किसी भवन, ढॉचा या बूथ से है जो फीस के संग्रहण के लिए बनाया गया है;

(भ) ''ट्रक या बस'' का तात्पर्य बारह हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु बीस हजार किलोग्राम से कम या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाले किसी यांत्रिक यान से है;

(म) ''थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू.पी.आई.)'' का तात्पर्य भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय या उसके एवज में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किसी थोक मूल्य सूचकांक से है।

3. फीस का उद्ग्रहण

(1). राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार एक्सप्रेस वे के किसी भाग के प्रयोक्ता को आपात स्थिति में निकालने तथा सामान्य प्रयोक्ता से यथास्थिति किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु, रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, के लिए फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी।

(2). निजी निवेश परियोजना की दशा में उपनियम (1) के अधीन उद्गृहीत फीस का संग्रहण रियायती अवधि के दौरान तक रियायतग्राही द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार किया जायेगा और एक्सप्रेस वे पूरा होने के दिनांक से प्रारम्भ होगा । यथास्थिति पैदल चलने वाले या गैर मोटराइज्ड वाहन या अपंजीकृत वाहन एक्सप्रेस वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगीः

किन्तु आपात स्थिति में, जैसे चलते हुए वाहन में खराबी आने पर, प्रयोक्ता को एक्सप्रेस-वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की अनुमति दी जायेगी ।

(3). सर्विस मार्ग पर चलने वाले वाहन यदि एक्सप्रेस वे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल-उपरिसेतु/ रेल-अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग, जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग करते हैं तो इन से कोई फीस वसूल नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहॉ सर्विस मार्ग हो या न हो दो पहिया, तीन पहिया वाहन या विधिक रूप से पंजीकृत ट्रैक्टरों के स्वामी यदि एक्सप्रेसवे के किसी भाग पर स्थित स्थाई सेतु, फ्लाई ओवर, इण्टरचेंज, रेल-उपरिसेतु/रेल-अधोसेतु, बाईपास या सुरंग जैसी भी स्थिति हो, का प्रयोग करते हैं तो इन लाईट मोटर वाहन स्वामियों/चालकों से कार के लिए निर्धारित दर से आधी दर पर फीस वसूल किया जायेगा ।

(4). इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस निकटतम् पांच रुपये के गुणांको में पूर्णाकिंत और उद्गृहीत की जायेगी।

4. फीस की आधार दर

(1).आधार वर्ष 2009-10 में छः/आठ लेन इक्सप्रेसवे के किसी भाग के उपयोग की फीस दर उस भाग की लम्बाई में निम्नलिखित दर से गुणा करने के अनुसार होगी, यथा :-

वाहन का प्रकार	वर्ष 2009-10 के लिए फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रुपये में) 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI 229.20) पर आधारित
कार, जीप, वैन या हल्की मोटर वाहन	0.80
हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.30
बस या ट्रक	2.75
भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (तीन से छः धुरीय)	4.30
विशाल आकार यान (ओवर साइज्ड वेहिकिल) (सात या अधिक धुरीय)	5.25

(2 निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढॉचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो आधार वर्ष 2009-10 के लिए फीस की दर निम्नवत् होगी :-

फीस का आधार दर (प्रति कि0मी0 प्रति फेरा रुपयें में)					
स्थाई सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार,जीप,वैन या हल्के मोटराइज्ड वाहन	हल्के,वाणिज्यिक यान हल्के यान वाहक यान या मिनीबस	ट्रक याा बस	एच.सी.एम. ई. एम.ई या एम.ए. वी	विशाल आकार पत्र
10-15	5.00	7.50	15.00	22.00	30.00
रु. पन्द्रह करोड़ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भार पर रु. सौ करोड़ तक	1.00	1.50	3.00	4.50	6.00
रु. सौ के बाद प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भार पर रु. दो सौ करोड़ तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
रु. दो सौ करोड़ से ऊपर प्रत्येक पांच करोड़ या उसके भाग पर	0.50	0.75	1.50	2.25	3.00

परन्तु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से एक्सप्रेस वे के किसी भाग के प्रयोग हेतु फीस की संगणना करते समय यदि उस भाग पर स्थित स्थाई सेतु, इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु बाईपास या सुरंग

की लागत रु.50.00 करोड़ या अधिक है, तो ऐसे स्थाई सेतु, इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, सेल उपरिसेतु/रेल अधो सेतु बाईपास या सुरंग की लम्बाई को एक्प्रेस वे के उस भाग की लम्बाई से घटाते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार फीस की संगणना की जायेगीः

परन्तु यह और भी कि जहॉ स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, सेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग जैसी भी स्थिति हो, की लागत रु.50.00 करोड़ से कम हो और यह स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर,रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास अथवा सुरंग एक्सप्रेस वे का भाग हो तो उपर्युक्त फीस के बजाय नियम-4 के उप नियम (1) के अनुसार ही ऐसे स्थाई सेतु इण्टरचेंजेज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु बाईपास अथवा सुरंग हेतु फीस निर्धारित होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>

इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए-

निजी निवेश परियोजनाओं में पूर्ण लागत रियायतग्राही (कन्सेशनायर) के सांविधिक सम्प्रेक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

<u>5.फीस को दरों का वार्षिक पुनरीक्षण</u>

(1).अधिसूचना नियम-4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल, 2010 से प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जायेंगी।

(2). प्रवृत्त दरें प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से इस प्रकार पुनरीक्षित की जायें कि जिनका आधार 3 जनवरी 2009 को समाप्त हुये सप्ताह से पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद समाप्त हुए सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक (229.20) पर आधारित हो, किन्तु यह पुनरीक्षण/बढ़ोत्तरी मूल्य सूचकांक के अधिकतम् 40% (चालीस प्रतिशत) बढ़ोत्तरी तक सीमित रहेगी (5 पैसे के पूर्णांक के निकट होगी) ।

(3). प्रवृत्त दरों के निर्धारण का सूत्र निम्नवत् होगा :-

$$\text{प्रवृत्त फीस दर} = \text{आधार दर} + \text{आधार दर} \times \left\{ \frac{\text{थोक मूल्य सूचकांक 'क' - थोक मूल्य सूचकांक 'ख'}}{\text{थोक मूल्य सूचकांक 'ख'}} \right\} \times 0.4$$

<u>स्पष्टीकरण</u>

(क)-प्रवृत्त शुल्क दर नियम-4 के उपनियम-1 के अर्न्तगत संशोधित दरों के अनुसार प्रयोक्ता द्वारा देय होगी।

(ख)-वर्ष 2009-10 हेतु एक्सप्रेस-वे के लिए बेस दर विनिर्दिष्ट ढॉचों स्थायी सेतु, फ्लाई ओवर, इन्टरचेन्ज, बाई-पास या सुरंग को असम्मिलित करते हुए मान्य होगी।

वाहन का प्रकार	वर्ष 2009-10 के लिए फीस की प्रति किलोमीटर आधार दर (रूपये में) 3 जनवरी, 2009 को समाप्त हुये सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI 229.20) पर आधारित
कार, जीप, वैन या हल्की मोटर वाहन	0.80
हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.30
बस या ट्रक	2.75
भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू-गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (तीन से छः धुरीय)	4.30
विशाल आकार यान (ओवर साइज्ड वेहिकिल) (सात या अधिक धुरीय)	5.25

(ग) स्थाई सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, उपमार्ग या सुरंग सहित संरचना की दशा में, जहां संविधिक संपरीक्षकों द्वारा सत्यापन के पश्चात् पूर्ण लागत 50 करोड़ रूपया या अधिक पाई जाती है, वहां पथकर उपनियम 4(2) को उपनियम 4(1) के साथ मिलाकर पुनरीक्षण किया जाये ।

(घ) ''थोक मूल्य सूचकांक-क'' का तात्पर्य उस थोक मूल्य सूचकांक से है जो फीस दर पुनरीक्षित करने वाले वर्ष की 1 जनवरी या उसके तुरन्त बाद समाप्त होने वाले सप्ताह का हो और

(च) ''थोक मूल्य सूचकांक-ख'' का तात्पर्य उस थोक मूल्य सूचकांक से है जो 3 जनवरी 2009 को समाप्त हुये सप्ताह को था अर्थात 229.20

<u>उदाहरण -</u>

किसी एक्सप्रेस वे का 2010-11 और 2011-12 के लिए फीस का पुनरीक्षण किया जाना हो तो मान लिया कि 2 जनवरी, 2010 को समाप्त हुए थोक मूल्य सूचकांक 240 और 1 जनवरी, 2011 को समाप्त हुए थोक मूल्य सूचकांक 260 था तो कार, जीप, या वैन की प्रति किलोमीटर फीस निम्न प्रकार होगी :-

(एक) वर्ष 2010-2011 के लिए-0.80+0.80 $\left(\frac{240-229.20}{229.20}\right)$ X 0.4=0.815 अर्थात् रू0 0.80 होगी

(दो) वर्ष 2011-2012 के लिए-0.80+0.80 $\left(\frac{260-229.20}{229.20}\right)$ X 0.4=0.843 अर्थात् रू0 0.85 होगी

(4). - फीस दरों का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू होगा।

6.फीस का संग्रहण

(1)-इन नियमों के अन्तर्गत उद्गृहीत फीस की वसूली रियायतग्राही (कन्सेशनायर) द्वारा पथकर प्लाजा पर की जायेगी ।

(2)-एक्सप्रेसवे के किसी भाग या भाग पर बने स्थाई सेतु इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का उपयोग करने वाले वाहन के चालक, वाहन स्वामी या प्रभारी को पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

(3)-फीस का भुगतान नगद के रूप में, या स्मार्ट कार्ड द्वारा या ट्रान्स्पान्डर द्वारा या अन्य किसी उचित रूप से किया जायेगा ।

परन्तु यह कि स्मार्ट कार्ड या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्स्पान्डर) के माध्यम से फीस का भुगतान करने वालों को रियायतग्राही द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अधिभार का भुगातन भी करना होगा ।

(4)-मोटर वाहनों के ऐसे चालक या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जो आन बोर्ड यूनिट (ट्रान्स्पान्डर)/ओ.बी.यू. के माध्यम से फीस का भुगतान करने के इच्छुक हों, उपस्कर की लागत के सापेक्ष रियायतग्राही के पास वापसी योग्य जमानत धनराशि जमा करनी होगी ताकि उपस्कर लगाया जा सके । इस जमानती जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(5)-नियम-6 के उपनियम -(2) के अधीन फीस प्राप्तकर्ता व्यक्ति, वाहन चालक, वाहन स्वामी और वाहन प्रभारी को ऐसी फीस रसीद जारी करेगा, जिसमें वसूली गई फीस की तिथि तथा समय कुल प्राप्ति धनराशि और वाहन का प्रकार, जिसके लिए फीस वसूल की गयी हो, विनिर्दिष्ट हो;

परन्तु जहॉ फीस का भुगतान स्मार्ट कार्ड या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रान्सपाण्डर) या किसी अन्य उपयुक्त उपाय से किया गया हो, वहां रसीद मांग पर ही जारी की जायेगी । यदि किसी वाहन चालक, स्वामी अथवा यांत्रिक वाहन के प्रभारी के पास ओ०बी०यू० अथवा स्मार्ट कार्ड नहीं है, किन्तु वह स्मार्ट कार्ड/ओ०बी०यू० के लिए आशयित आरक्षित मार्ग का प्रयोग करना चाहता है उसे लागू फीस के अतिरिक्त रियायतग्राहता को लागू फीस के पॉच गुना अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा।

7. फीस का प्रेषण एवं विनियोजन

निजी निवेश परियोजना के मामले में इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूली गई फीस का विनियोजन ऐसे रियायतग्राही द्वारा किये गये करार के अधीन उसके समझौते के उपबन्धों के अनुसार तथा उसके निष्पादन हेतु किया जायेगा।

8. प्लाजा का स्थान

(1)-सामान्यतः यथास्थिति रियायतग्राही या निष्पादन प्राधिकारी, पथकर प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर बाहर ही स्थापित करेगा किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में जहॉ यथास्थिति एक्सप्रेसवे का कोई भाग, स्थाई सेतु इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग नगर पालिका, या नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर या ऐसी सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित हो तो मुख्यतः उस नगर पालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए पथकर प्लाजा की स्थापना नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमा में या ऐसी सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर की जा सकती है।

(2)-सामान्यतः एक्सप्रेसवे के उसी भाग में और उसी दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा किन्तु अपवादिक परिस्थितियों में जहॉ निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझता है वहां कारण लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने पर 60 किलोमीटर के भीतर अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकता है या रियायतग्रही को स्थापित करने की अनुमति दे सकता है।

परन्तु अन्य पथकर प्लाजा से 60 किलोमीटर के भीतर पथकर प्लाजा/प्लाजा स्थापित किया जा सकता है/ किये जा सकते हैं यदि ऐसा पथकर प्लाजा किसी स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग या एक्सप्रेसवे के लिए फीस संग्रह करने के लिए पथकर का अपवंचन रोकने के निमित्त हो।

9. रियायतें

(1).यथा स्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायत ग्राही, उपनियम(2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी पथकर प्लाजा को पार करने के लिए अनेक यात्राओं के लिए अनुरोध किये जाने पर पास जारी करेगा ।

(2).रियायतग्राही किसी व्यक्ति के अनुरोध पर सम्बन्धित वाहन हेतु संदेय फीस के 160प्रतिशत(एक सौ साठ प्रतिशत मात्र) की धनराशि के भुगतान पर उसी दिन वापसी पास जारी करेगा, यदि एक्सप्रेसवे पर एक मात्र एक तरफ की यात्रा करनी हो।

(3).रियायतग्राही 20(बीस) या उससे अधिक एक तरफ के पथकर टिकटों के निर्गमन हेतु किसी व्यक्ति के अनुरोध पर सम्बन्धित विशिष्ट रजिस्ट्रीकृत वाहन हेतु संदेय 80प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत) फीस के रियायती दर पर ऐसे टिकट जारी करेगा। ऐसे रियायती टिकटों का प्रयोग विनिर्दिष्ट वाहन द्वारा किसी तरफ की एक यात्रा के लिए किसी एक कलेण्डर माह या उसके किसी भाग के लिए किया जाएगा।

(4).ऐसे किसी यांत्रिक वाहन के वाहन चालक, वाहन स्वामी या प्रभारी, जो एक्सप्रेस वे के किसी भाग का प्रयोग करता हो और किसी पथकर प्लाजा को पार नहीं करता है, को न तो कोई पथकर पास जारी किया जायेगा और न उनसे कोई फीस वसूल की जायेगी ।

10.अतिभराई के लिए फीस की दर

(1)-तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा यांत्रिक यान जो नियम (4) के उप नियम (1) के अधीन उसके प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार से लदा है, ऐसी दर पर फीस संदाय करने के लिये दायी होगी जो अगली उच्चतर श्रेणी के यांत्रिक यान के लिए लागू है।

परन्तु यह कि अतिभराई के लिए ऐसी फीस का संदाय यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भार साधक व्यक्ति को उस एक्सप्रेस वे का उपयोग करने के लिए हकदार नहीं बनायेगा और उसका यान उस यांत्रिक यान से अधिक भार हटाये जाने तक एक्सप्रेस वे का उपयोग करने या पथकर पास करने से रोका जायेगा।

(2)-पथकर प्लाजा पर संस्थापित तुला चौकी पर यथा अभिलिखित यांत्रिक यान का भार इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए फीस उद्ग्रहण किये जाने का आधार होगा।

परन्तु जहॉ प्लाजा पर कोई तुला चौकी संस्थापित नहीं की गई है, वहॉ इस नियम के अधीन अतिभराई के लिए कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी और यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति केवल ऐसे यान के लिए लागू फीस का संदाय करने के लिए दायी होगा।

11-<u>फीस के संदाय से छूट</u>

ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी-

(क)-जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे है:-

(एक)-भारत के राष्ट्रपति

(दो)-भारत के उपराष्ट्रपति

(तीन)-भारत के प्रधानमंत्री

(चार)-भारत के मुख्य न्यायमूर्ति

(पांच)-राज्यपाल

(छः)-उपराज्यपाल

(सात)-मुख्यमंत्री

(आठ)-केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी

(नौ)-लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के अधिकारिता से युक्त विरोधीदल के नेता,

(दस)-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

(ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति

(बारह)-राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष

(तेरह)-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(चौदह)-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

(पंद्रह)-भारत सरकार के मंत्री

(सोलह)-उ० प्र० सरकार के मंत्री

(सत्रह)-उ० प्र० सरकार के सचिव और आयुक्त

(अठ्ठारह)-राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति

(उन्नीस)-सी.डी. प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान

(बीस)- समस्त सरकारी वाहन।

(ख)-यान, जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं,के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जा रहे हों :-

(एक)-रक्षा मंत्रालय जिसमें वे भी सम्मिलित है,जो छूट के पात्र है।

(दो)-अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल

(तीन)-ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(चार)-ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित है

(पांच)-अग्निशमन विभाग या संगठन

(छः)-सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, के अधिकारी और

(ग)-एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान

12. सूचना प्रदर्शित करना

(1).यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही यांत्रिक वाहनों से प्रभारित की जाने वाली फीस धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना को ऐसे क्षेत्र में ब्यापक प्रसार वाले कम से कम एक-एक अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगा।

(2).रियायतग्राही पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर पहले स्पष्ट रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में पांच सौ मीटर पूर्व अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगाः-

एक- नियम-9 के अधीन प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए संदेय फीस की धनराशि तथा उपलब्ध रियायत

दो-उन श्रेणियों के वाहन जो फीस के संदाय से छूट प्राप्त हैं तथा

तीन-रियायतग्राही का नाम पता तथा दूरभाष या सम्पर्क संख्या

(3)-सूचना पट्टों की ऊँचाई उनकी गुणवत्ता तथा अक्षरों का आकार प्रयोक्ताओं को स्पष्ट रूप से दृष्टव्य या सुपाठ्य हो।

13. अनाधिकृत वसूली

(1).यथास्थिति राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा अधिक वसूल की गयी फीस (यदि कोई हो)का निर्धारण कर सकता है और ऐसे प्राधिकरण या रियायतग्राही से अधिक वसूल की गई फीस की पच्चीस प्रतिशत धनराशि के साथ उक्त की वसूली करेगा।

परन्तु इस प्रकार अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये।

(2).फीस की अनाधिकृत वसूली से क्षुब्ध किसी यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी अथवा प्रभारी इस निमित्त यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। जो पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त अधिक भुगतान की वापसी तथा ऐसे उपयोगकर्ता को हुई असुविधा की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तीन दिन के अन्दर आदेश निर्गत करेगा।

14. फीस भुगतान की विफलता

(1).यदि किसी यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी अथवा प्रभारी एक्सप्रेसवेज या उसके किसी भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने हेतु फीस का भुगतान नहीं करता है या भुगतान करने से मना करता है तो उसके वाहनों को एक्सप्रेसवे के ऐसे भाग, स्थायी सेतु इण्टरचेंज, फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, वाईपास या सुरंग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और यदि इस प्रकार के वाहन के मार्ग में अड़े रहने से यातायात बाधित हो रहा हो तो ऐसे वाहनों को एक्सप्रेसवे से जबरन हटाया जा सकता है ।

(2).जहॉ किसी यांत्रिक वाहन का चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का भुगतान करने से मना करता है अथवा उसमें असफल रहता है तो उसकी वसूली यांत्रिक वाहन के पंजीकृत स्वामी से की जायेगी ।

(3).यथास्थिति जहॉ राज्य सरकार, निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही को यह विश्वास करने का कारण हो कि यांत्रिक वाहन एक्सप्रेसवे के किसी भाग, स्थायी सेतु, इण्टरचेंज, फ्लाई ओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग पर/में देय फीस का भुगतान किये बिना चलाया जा रहा है, वहां वह ऐसे वाहनों को भुगतान के सत्यापन के प्रयोजन हेतु रोक सकता है और ऐसे वाहनों से निर्धारित फीस का पचास प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि के साथ देय फीस वसूल कर सकता है।

15. अभिलेखों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार की शक्ति

यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को फीस वसूली को सत्यापित करने और यथास्थिति निष्पादन प्राधिकरण या रियायतग्राही के किसी दस्तावेज, अभिलेख, अन्य सूचना, रसीदों या रिपोर्टों के निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

16. निजी निवेश परियोजनाओं के सम्बन्ध में फीस की वसूली

(1). नियम-3 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत फीस, करार प्रवृत्त हो जाने पर रियायतग्राही द्वारा वसूल की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जायेगा।

(2). नियम -3 के उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट करार की समाप्ति पर या समाप्ति के दिन से यथास्थिति राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत फीस की वसूली की जायेगी ।

17. अतिरिक्त शुल्कद्वार (बैरियर) लगाने पर प्रतिबन्ध

पथकर प्लाजा से भिन्न किसी स्थान पर कोई शुल्क द्वार (वैरियर) नहीं लगाया जाएगा, किन्तु आपवादिक मामलों में राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि फीस का अपवंचन हो रहा है, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि वह अधिरोपित करे, अतिरिक्त शुल्क द्वारा (वैरियर) लगाने की अनुमति दे सकता है। यथास्थिति राज्य सरकार, निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही (कन्सेशनायर) द्वारा फीस का अपवंचन रोकने हेतु ऐसे शुल्क द्वार (वैरियर) का प्रतिस्ठापन पथकर प्लाजा से 10 कि.मी. के भीतर किया जाएगा अथवा किया जा सकता है।

किन्तु यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण, किसी भी समय लिखित रूप से कारण बताते हुये ऐसी अनुज्ञा को वापस ले सकता है।

परन्तु अग्रतर यह कि जहॉ यथास्थिति राज्य सरकार अथवा निष्पादन प्राधिकरण रियायतग्राही को अतिरिक्त शुल्कद्वार (बैरियर) स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों को ऐसे रियायतग्राही को 15 दिन के भीतर संसूचित किया जायेगा।

(वी.एन.गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 615(1)/77-3-10-तद्दिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ.प्र.,इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रभु शंकर)
अनु सचिव।

संख्या- 615(2)/77-3-10-तद्दिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,ग्रेटर नौएडा,गौतमबुद्धनगर।
2-जिलाधिकारी,गौतमबुद्धनगर,आगरा,महामायानगर,मेरठ,मथुरा,अलीगढ़।
3-संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ.प्र.,राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति की 200प्रतियां छपवाकर औद्योगिक विकास अनुभाग-3 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रभु शंकर)
अनु सचिव।